भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 601

(दिनांक 22.07.2026 को उत्तर देने के लिए)

10 किलोवाट एफएम स्टेशनों की स्थापना

601. श्री कोटा श्रीनिवास पूजारीः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चिक्कमगलुरु जिले के बड़े हिस्से विशेषकर मलनाड और पहाड़ी क्षेत्र मोबाइल नेटवर्क के दायरे में नहीं आते हैं और ग्रामीणों को मौसम, शिक्षा, बाजार दरों और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं मिलती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को चिक्कमगलुरु जिले में चिक्कमगलुरु दत्तापीता, कोप्पा बालगाड़ी बीएसएनएल टावर और मुडिगेरे हैंड पोस्ट बीएसएनएल टावर में 10 किलोवाट एफएम स्टेशनों की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव/अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का चिक्कमगलुरु, काडूर, तारिकेरे, बेलूर, कोप्पा, श्रृंगेरी, एनआर पुरा, मुडिगेरे और कलासा तालुकों के दूर-दराज के गांवों में निर्बाध सूचना कवरेज प्रदान करने के लिए उक्त 10 किलोवाट के तीन एफएम स्टेशनों को मंजूरी देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त एफएम स्टेशनों को कब तक स्वीकृत और चालू किए जाने की संभावना है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (घ):

प्रसारण अवसंरचना एवं नेटवर्क विकास (बीआईएनडी) स्कीम देश में दूरदर्शन तथा आकाशवाणी की प्रसारण अवसंरचना के विकास, आधुनिकीकरण एवं उन्नयन के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है। वर्ष 2021-26 के लिए बीआईएनडी स्कीम को ₹2539.61 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है। इस स्कीम दिनांक 31.03.2027 तक बढ़ा दी गई है।

इस स्कीम के अंतर्गत आकाशवाणी के ट्रांसमीटरों एवं स्टूडियो की स्थापना तथा आधुनिकीकरण, डीडी फ्री डिश डीटीएच प्लेटफॉर्म तथा दूरदर्शन टीवी चैनलों का विस्तार शामिल है। इसमें प्रोडक्शन तथा ट्रांसमिशन सुविधाओं के उन्नयन का भी प्रावधान है।

वर्तमान में चिक्कमगलूरु जिला श्रृंगेरी स्थित 100 वॉट एफएम रिले ट्रांसमीटर, भद्रावती स्थित 20 किलोवाट मीडियम वेव (675 किलोहर्ट्ज) ट्रांसमीटर, जो प्रस्तावित स्थानों तथा उनसे सटे क्षेत्रों को कवर करता है, तथा हासन स्थित 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर, जो जिले के अन्य भागों को कवर करता है, के माध्यम से सेवाएं प्राप्त कर रहा है। नए ट्रांसमीटरों की स्थापना एक सतत प्रक्रिया है। नए एफएम स्टेशनों की स्कीमें आवश्यकता के आकलन, उपलब्ध संसाधनों, अंतर-प्राथमिकता, व्यवहार्यता तथा सरकार के अनुमोदन के आधार पर समय-समय पर तैयार एवं कार्यान्वित की जाती हैं।

ज़िला के निवासी वैकल्पिक प्लेटफॉर्मों के माध्यम से भी दूरदर्शन एवं आकाशवाणी की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। प्रसार भारती की निःशुल्क डीटीएच सेवा, डीडी फ्री डिश, बिना किसी सदस्यता शुल्क के सभी दूरदर्शन चैनलों तथा आकाशवाणी के 48 चैनलों का प्रसारण करती है। न्यूज़ऑनएआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी के 260 से अधिक चैनल उपलब्ध हैं। दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के चैनल वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं।
